उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 96/2020/309प्र0सं0/92-2-20-93एम/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 24 जुलाई, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ के पद पर कार्यरत रहने के दौरान विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी व जनपद हरदोई में कतिपय कार्यो हेतु आमंत्रित की गयी निविदाओं में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ सम्प्रति परिमण्डल-कानपुर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने तथा अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-लखनऊ/हरदोई को विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन में ससमय उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 96 /2020/309प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-3073/ ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/पत्रा0सं0-196/20-21 दि0 30-06-2020 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि श्री एम0एम0 हुसैन के विरूद्ध आरोप पत्र (02 प्रतियों में) गठित कर शासन को 03 दिन के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता ग्रा0अ0वि0 प्रखण्ड-लखनऊ/हरदोई।

4- श्री एम0एम0 हुसैन, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, परि0-लखनऊ सम्प्रति परि0-कानपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in